अध्याय 9
प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति

नियम 72 : प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति

इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित के अधीन रहते हुए, कोई भी विधि व्यवसायी या प्राधिकृत प्रतिनिधि अपील अधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही में उपस्थित होने और कार्य करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह अपील अधिकरण में, यथास्थिति, वकालतनामा या उपस्थिति ज्ञापन या प्राधिकार पत्र फाइल न करे, जिसमें **जीएसटीएटी प्ररूप–04** में निर्दिष्ट सभी जानकारी सम्मिलित होगी, उस पक्ष द्वारा या उसकी ओर से विधिवत निष्पादित किया गया हो, जिसके लिए वह उपस्थित होता है।